

02/02/25

पत्रावली पेश हुई। अर्धी एवं जार्डी के
अधिकार को बार-बार आवाज दिलायी
गयी। जो हाजिर नहीं है। अतः अहम
हाजरी एवं अहम फेरवी में प्रार्थना-पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम हो। बाद जाता कार्रवाई साधित
रफ्तार हो।

(हमयली उंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

